



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938

No. 2142]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ.2831 (अ).— प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा 01 सितम्बर, 2016 को वह तिथि नियत करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, नामतः :-

क्रम सं.	धाराएं
1.	धारा 2 और 3 (दोनों शामिल);
2.	धारा 4 [खंड (xiii) को छोड़कर];
3.	धारा 5 और 6 (दोनों शामिल);
4.	धारा 8 से 16 (दोनों शामिल);
5.	धारा 22 से 31 (दोनों शामिल);
6.	धारा 33 से 44 (दोनों शामिल).

[फा.सं. 3/5/2016-डीआरटी]

आनंदराव विष्णु पाटील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2831 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No	Sections
1.	Sections 2 and 3 (both inclusive);
2.	Sections 4 [except clause (xiii)];
3.	Section 5 and 6 (both inclusive);
4.	Sections 8 to 16 (both inclusive);
5.	Sections 22 to 31 (both inclusive);
6.	Sections 33 to 44 (both inclusive).

[F. No. 3/5/2016 - DRT]

ANANDRAO VISHNU PATIL, Jt. Secy.

**HARINDRA
KUMAR**

Digitally signed by
HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.02
10:50:04 +05'30'